न्यायालय-अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट संख्या 1, हरदोई ।

प्रकीर्ण वाद संख्या -1715/2022

मंजीत सिंह बनाम सुनील कुमार आदि

दिनांक- 04.08.2022

पत्रावली आज आदेश हेतु पेश हुई । प्रार्थी के अधिवक्ता को प्रार्थना पत्र धारा 156(3) दं०प्र०सं० के अन्तर्गत पूर्व में सुना जा चुका है।

प्रार्थी द्वारा धारा 156 (3) दं०प्र०सं० के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र मय शपथपत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि सम्बंधित थानाध्यक्ष को निर्देश देवें कि वह प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के आलोक में विपक्षीगण के विरूद्ध समुचित धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत करें तथा उसकी विवेचना करें।

प्रार्थी द्वारा अपने उपरोक्त प्रार्थना पत्र में सारतः कथन किया गया है कि प्रार्थी ने सन् 2019 में विपक्षी सं० 3 की नातिन रंजना से मर्जी से शादी की थी। विपक्षीगण को ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। जिस बावत विपक्षी सं० 3 ने प्रार्थी के विरुद्ध थाने में मुकदमा पंजीकृत कराया था। दिनांक 17.05.2022 को विपक्षी सं० 1 प्रार्थी को गन्दी गन्दी गालियां दे रहा था तो प्रार्थी ने गाली देने से मना किया तो विपक्षी घर के अन्दर घुस आये और प्रार्थी को मारा पीटा व घर का सारा सामान तोड़फोड़ दिया। विपक्षी सं० 3 ने प्रार्थी की पेंट की जेब से 4250/-रू० जबरदस्ती निकाल लिये।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया। थाने की आख्या के अनुसार थाना स्थानीय पर इस सम्बंध में कोई अभियोग पंजीकृत नही है।

प्रार्थना पत्र में उल्लिखत तथ्य व साक्षी, अभियुक्तगण के नाम, घटनास्थल प्रार्थी को ज्ञात हैं तथा ऐसा कोई अज्ञात तथ्य नही है जिसकी विवेचना कराया जाना आवश्यक हो तथा न ही विवेचना कराने से कोई नया तथ्य प्रकाश में आने की सम्भावना प्रतीत होती है । अतः माननीय उच्च न्यायालय की निम्नलिखित विधि व्यवस्थाओ **नाथू लाल गंगवार प्रति उ०प्र० राज्य, 2008 (61) ए०सी०सी० 792 (इलाहाबाद), सुखवासी प्रति उ०प्र० राज्य, 2007 (59) ए०सी०सी० 739 (इलाहाबाद-खण्डपीठ), फादर थामस प्रति उ०प्र० राज्य, 2002 (1) जे०आई०सी० 415 (इलाहाबाद), रामबाबू गुप्ता प्रति उ०प्र० राज्य, 2001 (43) ए०सी०सी० 50 (इलाहाबाद पूर्ण पीठ)** के प्रकाश में उक्त प्रकरण को परिवाद के रूप में दर्ज किया जाना उचित व न्यायसंगत प्रतीत होता है।

आदेश

प्रार्थी मंजीत सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 156(3) दं०प्र०सं० परिवाद के रूप में पंजीकृत किया जावे। पत्रावली वास्ते बयान अन्तर्गत धारा 200 दं०प्र०सं० दिनांक 07.10.2022 को पेश हो।

दिनांक-04.08.2022

(कुलदीप सिंह-II)
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं० 1,
हरदोई।